**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 2824**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)**

**कारपोरेट सामाजिक दायित्व में सम्मिलित कंपनियां**

**2824. श्री नव कुमार सरनीयाः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में सम्मिलित कंपनियां और जिन क्षेत्रों में इनके द्वारा सीएसआर कार्यकलाप किए गए हैं, का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों और जिलों में सीएसआर कार्यकलाप आरम्भ किए गए हैं;

(ग) क्या कई कंपनियां अपने प्रतिष्ठानों पर सीएसआर धनराशि पर व्यय करती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और ऐसी फाउंडेशनों के नाम क्या हैं;

(ङ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों और उनके द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(च) असम सहित देश की विभिन्न चाय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं और भागीदारी के उस क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जिसमें सीएसआर कार्यकलाप किए गए हैं?

**उत्तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(राव इंद्रजीत सिंह)**

(क): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़ें पब्लिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष (वि.व.) 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान सीएसआर अधिदेशित कंपनियों का विवरण निम्नलिखित हैः

| विवरण | विव 2017-18 | विव 2018-19 | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| कंपनियों की संख्या | 21,525 | 25,181 | 22,985 | 20,840 | 18,623 |

(आंकड़ें 31.03.2023 तक) [स्रोतः राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष (वि.व.) 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान राज्यवार तथा विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ): इस अधिनियम के अंतर्गत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर, कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 135 में यह निर्धारित है कि कंपनी बोर्ड को स्वयं द्वारा या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अपने सीएसआर कार्यकलापों को करने का अधिकार है जो कि उक्त नियम में उल्लिखित है।

(ङ): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में सीएसआर कार्यकलाप करने वाली एवं पंजीकृत कंपनियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

| विवरण | विव 2017-18 | विव 2018-19 | विव 2019-20 | विव 2020-21 | विव 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| कंपनियों की संख्या | 107 | 135 | 128 | 97 | 86 |
| सीएसआर व्यय करोड़ में | 179.43 | 182.27 | 256.91 | 155.25 | 287.51 |

(आंकड़ें 31.03.2023 तक) [स्रोतः राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

(च) और (छ): सीएसआर प्रकटन के तहत कंपनियों का प्रचालन-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

*****

## लोक सभा के दिनांक 07.08.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2824 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| सीएसआर व्यय का राज्यवार सारांश (राशि करोड़ में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त 2017-18 | वित्त 2018-19 | वित्त 2019-20 | वित्त 2020-21 | वित्त 2021-22 |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.73 | 0.82 | 1.29 | 2.86 | 9.02 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 575.07 | 665.97 | 710.23 | 719.81 | 640.70 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 11.91 | 24.56 | 18.02 | 10.58 | 119.39 |
| 4 | असम | 211.33 | 210.00 | 285.00 | 180.23 | 398.70 |
| 5 | बिहार | 106.17 | 137.95 | 110.48 | 89.89 | 165.66 |
| 6 | चंडीगढ़ | 20.51 | 11.46 | 15.58 | 13.40 | 49.98 |
| 7 | छतीसगढ़ | 176.70 | 149.35 | 269.68 | 325.63 | 292.83 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 6.98 | 13.48 | 18.34 | 21.98 | 14.11 |
| 9 | दमन और दीव | 20.23 | 6.25 | 9.53 | 5.25 | 4.13 |
| 10 | दिल्ली | 579.37 | 750.85 | 830.00 | 724.59 | 1,158.00 |
| 11 | गोवा | 53.77 | 46.77 | 43.91 | 41.92 | 42.59 |
| 12 | गुजरात | 967.97 | 1,082.18 | 984.37 | 1,461.60 | 1,554.16 |
| 13 | हरियाणा | 363.43 | 378.11 | 537.91 | 550.86 | 654.88 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 69.23 | 78.79 | 78.78 | 106.31 | 138.84 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 50.77 | 36.44 | 25.27 | 35.56 | 49.40 |
| 16 | झारखंड | 109.23 | 109.80 | 155.21 | 226.54 | 192.41 |
| 17 | कर्नाटक | 1,145.79 | 1,257.69 | 1,448.16 | 1,277.81 | 1,761.39 |
| 18 | केरल | 219.73 | 354.78 | 298.56 | 290.67 | 234.01 |
| 19 | लक्षद्वीप | 2.27 | 0.39 | - | 0.01 | 0.45 |
| 20 | लेह और लद्दाख | - | - | - | - | 14.84 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 163.92 | 243.55 | 220.46 | 375.51 | 420.04 |
| 22 | महाराष्ट्र | 2,797.53 | 3,147.72 | 3,353.24 | 3,464.81 | 5,229.31 |
| 23 | मणिपुर | 4.81 | 7.81 | 14.21 | 10.39 | 15.49 |
| 24 | मेघालय | 11.18 | 16.54 | 17.65 | 17.63 | 19.30 |
| 25 | मिजोरम | 1.28 | 0.11 | 0.25 | 0.97 | 6.94 |
| 26 | नागालैंड | 1.81 | 2.12 | 5.10 | 3.57 | 12.42 |
| 27 | ओडिशा | 504.22 | 697.91 | 717.39 | 578.16 | 652.01 |
| 28 | पुदुचेरी | 6.09 | 9.15 | 11.32 | 12.43 | 9.31 |
| 29 | पंजाब | 112.36 | 166.85 | 189.44 | 158.46 | 177.48 |
| 30 | राजस्थान | 443.35 | 595.49 | 734.12 | 670.00 | 700.44 |
| 31 | सिक्किम | 7.00 | 5.87 | 10.99 | 17.28 | 28.24 |
| 32 | तमिलनाडु | 669.65 | 877.08 | 1,072.26 | 1,174.07 | 1,371.91 |
| 33 | तेलंगाना | 380.57 | 428.06 | 445.80 | 627.71 | 670.06 |
| 34 | त्रिपुरा | 1.88 | 23.06 | 9.40 | 9.29 | 15.91 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 435.21 | 521.32 | 577.98 | 907.32 | 1,321.36 |
| 36 | उत्तराखंड | 85.79 | 172.31 | 124.70 | 160.58 | 224.32 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 338.32 | 382.23 | 423.85 | 471.48 | 541.46 |
| 38 | समस्त इंडिया* | 5,505.31 | 6,443.53 | 9,385.66 | 7,805.03 | 5,439.79 |
| 39 | अनुसूची VII में शामिल निधियों में योगदान | 799.18 | 1,156.86 | 1,790.69 | 3,491.30 | 1,581.43 |
| 40 | एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया * | 137.93 | 4.44 | 20.97 | 169.47 | 0.09 |
| **कुल योग (करोड़ में)** | | **17,098.57** | **20,217.65** | **24,965.82** | **26,210.95** | **25,932.79** |

**(31.03.2023 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

*** कहीं उल्लेख नहीं किया गया (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो उन राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******

**अनुलग्नक-II**

**लोक सभा में दिनांक 07.08.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2824 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

| सीएसआर व्यय का विकास क्षेत्रवार सारांश (राशि करोड़ में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | विकास क्षेत्र | वित्त 2017-18 | वित्त 2018-19 | वित्त 2019-20 | वित्त 2020-21 | वित्त 2021-22 |
| 1 | कृषि वानिकी | 66.79 | 64.75 | 67.38 | 20.90 | 33.13 |
| 2 | पशु कल्याण | 63.52 | 98.33 | 106.12 | 193.55 | 165.56 |
| 3 | सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं /आश्रित | 29.09 | 90.18 | 62.06 | 84.05 | 42.55 |
| 4 | कला और संस्कृति | 395.22 | 225.94 | 933.57 | 493.13 | 241.24 |
| 5 | स्वच्छ गंगा निधि | 33.96 | 8.11 | 6.63 | 13.39 | 54.31 |
| 6 | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 228.14 | 173.55 | 160.60 | 92.00 | 271.95 |
| 7 | शिक्षा | 5,763.45 | 6,111.66 | 7,179.51 | 6,693.25 | 6,367.33 |
| 8 | पर्यावरणीय स्थिरता | 1,301.96 | 1,368.27 | 1,470.53 | 1,030.16 | 2,366.15 |
| 9 | लैंगिक समानता | 24.01 | 51.86 | 82.93 | 43.83 | 97.64 |
| 10 | स्वास्थ्य देखभाल | 2,776.95 | 3,617.15 | 4,905.72 | 7,325.83 | 7,636.18 |
| 11 | आजीविका संवर्धन परियोजनाएं | 832.40 | 907.98 | 1,077.72 | 938.91 | 822.01 |
| 12 | केंद्र सरकार की अन्य निधि | 292.73 | 731.06 | 932.16 | 1,618.17 | 303.34 |
| 13 | गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का उन्मूलन | 811.20 | 1,195.78 | 1,159.71 | 1,407.58 | 1,873.68 |
| 14 | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष | 200.42 | 322.19 | 798.43 | 1,698.38 | 1,190.86 |
| 15 | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | 1,724.07 | 2,434.17 | 2,301.02 | 1,850.71 | 1,801.43 |
| 16 | स्वच्छ पेयजल | 220.87 | 228.23 | 253.40 | 203.13 | 176.10 |
| 17 | स्वच्छता | 460.68 | 506.66 | 521.72 | 338.97 | 301.48 |
| 18 | वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण | 40.10 | 46.52 | 52.33 | 56.47 | 76.23 |
| 19 | महिलाओं के गृहों और छात्रावासों की स्थापना | 70.58 | 57.01 | 48.50 | 44.52 | 100.15 |
| 20 | अनाथालय की स्थापना | 39.87 | 12.89 | 36.50 | 21.88 | 25.79 |
| 21 | स्लम क्षेत्र का विकास | 39.16 | 51.06 | 42.94 | 88.95 | 58.14 |
| 22 | सामाजिक-आर्थिक असमानताएं | 155.95 | 167.92 | 214.88 | 149.81 | 156.06 |
| 23 | विशेष शिक्षा | 140.01 | 186.13 | 196.88 | 209.24 | 181.82 |
| 24 | स्वच्छ भारत कोष | 272.07 | 95.50 | 53.47 | 161.35 | 32.92 |
| 25 | प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर | 16.94 | 32.10 | 53.50 | 62.62 | 7.33 |
| 26 | खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण | 285.41 | 310.16 | 304.00 | 243.39 | 286.69 |
| 27 | व्यावसायिक कौशल | 546.46 | 798.36 | 1,181.23 | 717.65 | 1,010.83 |
| 28 | महिला सशक्तिकरण | 251.37 | 236.54 | 259.57 | 206.00 | 251.31 |
| 29 | एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया * | 15.20 | 87.61 | 502.79 | 203.14 | 0.59 |
| **कुल योग (करोड़ में)** | | **17,098.57** | **20,217.65** | **24,965.82** | **26,210.95** | **25,932.79** |

**(31.03.2023 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******